

कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना म.प्र.

क्रमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वाय./2020/3816


मुरैना, दिनांक 21/03.2020

आदेश

भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव हेतु प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये गये हैं।

उक्त संक्रमण के फैलने की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुरैना के समस्त राजस्व कार्यालयों की न्यायालयीन कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से दिनांक 31/03/2020 तक के लिये स्थगित किया जाता है।

उक्त अवधि में किसी भी प्रकार से न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की जावेगी।



(प्रियंका दास)

कलेक्टर

जिला मुरैना (म.प्र.)

मुरैना, दिनांक 21/03.2020

क्रमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वाय./2020/3816

1. आयुक्त चम्बल संभाग, जिला मुरैना
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना
3. अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना
4. समस्त एस.डी.एम./तहसीलदार/नायब तहसीलदार....., जिला मुरैना
5. उपसंचालक, जनसम्पर्क विभाग, जिला मुरैना



कलेक्टर

जिला मुरैना (म.प्र.)